संख्या-17/2025/57-1099/59/2024

प्रेषक,

मुकेश कुमार मेश्राम,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
धर्मार्थ कार्य निदेशालय,
उ0प्र0 लखनऊ।

धर्मार्थ कार्य अनुभाग लखनऊ, दिनांक: 23 जून, 2025

विषय:- प्रदेश में विलीनीकृत रियासतों के धार्मिक स्थलों के संरक्षण व सुदृढ़ीकरण का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

अवगत कराना है कि स्वतंत्रता के उपरान्त अनेक स्वतंत्र रियासतें सरकार में विलीन हो गईं एवं इनसे जुड़े सार्वजनिक उपयोग के धार्मिक स्थल भी राज्य सरकार के अधीन आ गये। वर्तमान समय में प्रदेश के कई जनपदों में अवस्थित विलीनीकृत रियासतों के धार्मिक स्थलों की स्थिति समुचित रख-रखाव के अभाव में अत्यन्त जीर्ण-शीर्ण हो गयी है, जिसके संरक्षण व सुदृढ़ीकरण की अत्यन्त आवश्यकता है अन्यथा ये ऐतिहासिक भवन एवं धरोहर स्थल नष्ट हो सकते हैं।

2- उक्त के दृष्टिगत शासन स्तर पर सम्यक् विचारोपरान्त प्रदेश में विलीनीकृत रियासतों के धार्मिक स्थलों के संरक्षण व सुदृढ़ीकरण का कार्य कराये जाने हेतु निम्नवत् दिशा-निर्देश निर्धारित किये जाते है:-

(1) इस योजना के अंतर्गत विलीनीकृत रियासतों के उन धार्मिक स्थलों का संरक्षण/सुदृढीकरण किया जायेगा, जिन पर राज्य सरकार का स्वामित्व है एवं सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारियों के माध्यम से उनका अनुरक्षण एवं प्रबन्धन किया जा रहा है।

(2) इस योजना के अंतर्गत उन मन्दिरों के जीर्णोद्धार को वरीयता दी जायेगी, जहाँ अधिक संख्या में श्रद्धालु/पर्यटक आते हो तथा जो ऐतिहासिक/पुरातात्विक, धार्मिक/पौराणिक/आध्यात्मिक महत्व के हो।

(3) जिलाधिकारी द्वारा जीर्णोद्धार हेतु संस्तुति करने से पूर्व सम्बन्धित मन्दिर का स्थलीय निरीक्षण/सर्वेक्षण कराकर यह सुनिश्चित किया जायेगा कि भू-अभिलेखानुसार मंदिर एवं कुण्ड/जलाशय/तीर्थस्थल के परिसर की भूमि पर राज्य सरकार का स्वामित्व है तथा उक्त स्थल के जीर्णोद्धार की आवश्यकता है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(4) जिलाधिकारी द्वारा प्रस्ताव में स्पष्ट रूप से उक्त मन्दिर के ऐतिहासिक, पौराणिक एवं धार्मिक महत्व को इंगित करते हुए संलग्न निर्धारित प्रारूप पर जीर्णोद्धार/मरम्मत हेतु स्पष्ट संस्तुति सहित सुविचारित प्रस्ताव निदेशक, धर्मार्थ कार्य निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ को उपलब्ध कराया जायेगा।

(5) निदेशक, धर्मार्थ कार्य निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा निदेशालय स्तर पर तकनीकी समिति का गठन कर धार्मिक स्थलों के जीर्णोद्धार सम्बन्धी प्रस्तावों/आगणन का परीक्षण किया जायेगा। उक्त तकनीकी समिति में पुरातात्विक संरक्षणविद् एवं मंदिर वास्तु विशेषज्ञ (Temple Architecture specialist) को अनिवार्य रूप से सम्मिलित किया जायेगा। परीक्षणोपरान्त निदेशक, धर्मार्थ कार्य निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा स्पष्ट संस्तुति सहित सुविचारित प्रस्ताव सूचीबद्ध करते हुये शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(6) शासन को उपलब्ध कराये गये विलीनीकृत रियासतों के धार्मिक स्थलों के जीर्णोद्धार सम्बन्धी प्रस्तावों को अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, धर्मार्थ कार्य विभाग की अध्यक्षता में गठित समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा, जो जीर्णोद्धार हेतु विलीनीकृत रियासतों के धार्मिक स्थलों का चयन करेगी। उक्त समिति का स्वरूप निम्नवत् होगाः-

1.	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, धर्मार्थ कार्य विभाग, उ0प्र0 शासन।	अध्यक्ष
2.	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, संस्कृति विभाग या उनके द्वारा नामित विशेष सचिव से अनिम्न अधिकारी।	सदस्य
3.	निदेशक, उ0प्र0 राज्य पुरातत्व निदेशालय, उ0प्र0।	सदस्य
4.	INTACH के स्थानीय प्रतिनिधि	सदस्य
5.	फैकल्टी ऑफ आर्किटेक्चर एण्ड प्लानिंग, ए0पी0जे0अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी, लखनऊ के नामित प्रोफेसर।	सदस्य
6.	सेवानिवृत्त पुरातत्वविद्, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI)	सदस्य
7.	निदेशक, धर्मार्थ कार्य निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ अथवा उनकी अनुपस्थिति में संयुक्त निदेशक, धर्मार्थ कार्य निदेशालय से अनिम्न अधिकारी।	सदस्य सचिव

(7) समिति द्वारा आय-व्ययक में उपलब्ध बजट व्यवस्था के अन्तर्गत वित्त विभाग द्वारा सम्बन्धित वित्तीय वर्ष में जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार संरक्षण/सुदृढीकरण हेतु विलीनीकृत रियासतों के मन्दिरों का चयन किया जायेगा।

(8) उन विलीनीकृत रियासतों के मन्दिरों के संरक्षण/सुदृढीकरण को प्राथमिकता प्रदान की जायेगी, जिनके लिए मंदिर प्रबन्धन के स्वयं के स्रोतो या अन्य स्रोतों यथा-दान/सी.एस.आर. फण्ड इत्यादि के माध्यम से जीर्णोद्धार की लागत की 50 प्रतिशत धनराशि वहन की जायेगी।

(9) उक्त गठित समिति की संस्तुति पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त कर सम्बन्धित स्थल का यथावश्यकता उत्तर प्रदेश राज्य पुरातत्व निदेशालय तथा इंटैक (INTACH) जैसी विशेषज्ञ संस्थाओं के माध्यम से संरक्षण, जीर्णोद्धार एवं अनुरक्षण की कार्यवाही की जायेगी। साथ ही प्रसिद्ध तीर्थस्थल/पर्यटन स्थल के रूप में स्थापित होने पर इनके कैम्पस में पर्यटक सुविधाओं का विकास पर्यटन विभाग के माध्यम से किया जायेगा।

(10) शासन स्तर की उपरोक्त समिति की प्रत्येक बैठक में प्रतिभाग करने हेतु गैर-सरकारी सदस्यों को अनुमन्य मानदेय प्रदान किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(11) अपरिहार्य परिस्थितियों में मा0 मुख्यमंत्री जी के अनुमोदन से किसी भी विलीनीकृत रियासतों के चयनित धार्मिक स्थलों का जीर्णोद्धार किया जा सकेगा।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्त दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन कराते हुए समुचित प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक:यथोक्त्।

भवदीय,

(मुकेश कुमार मेश्राम)
प्रमुख सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0 शासन।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
4. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
5. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
6. निदेशक, पुरातत्व निदेशालय/संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0।
7. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उ0प्र0 प्रयागराज ।
8. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन लि0, लखनऊ
9. कुल सचिव, फैकल्टी ऑफ आर्किटेक्चर एण्ड प्लानिंग, ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम टेक्निकल विश्वविद्यालय, लखनऊ।
10. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5, उ0प्र0 शासन।
11. विभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

(मुकेश कुमार मेश्राम)
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

शासनादेश संख्या-17/2025/57-1099/59/2024, दिनांक-23.06.2025 का संलग्नक-

प्रदेश में विलीनीकृत रियासतों के धार्मिक स्थलों के संरक्षण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु प्रस्ताव का प्रारूप-

---

1	जनपद का नाम	
2	धर्म स्थल का नाम व पता	
3	विलीनीकृत रियासत का नाम, जिसका यह धर्म स्थल था	
4	धर्म स्थल की भूमि का राजस्व अभिलेखों के अनुसार स्वामित्व का विवरण सहित (इस सम्बन्ध मे राजस्व अभिलेखों को संलग्न किया जायेगा)	
5	धर्म स्थल का क्षेत्रफल (सम्बन्धित स्थल की चौहद्दी इत्यादि का उल्लेख करते हुए) (इसके अन्तर्गत सम्बन्धित मन्दिर के देवता, उक्त स्थल की ऐतिहासिकता/पौराणिकता, स्थल पर होने वाले विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों, मेलों आदि का विवरण)	
6	धर्म स्थल का इतिहास एवं धार्मिक महत्व।	
7	धर्म स्थल की अन्य सम्पत्तियाँ। (इसके अन्तर्गत कृषि/आवासीय भूमि/मकान/दुकान/स्कूल/चिकित्सालय इत्यादि का विवरण पूर्ण अभिलेखों सहित)	
8	धर्म स्थल की वार्षिक आय यदि कोई हो, तो विवरण सहित उल्लेख करे।	
9	धर्म स्थल का वर्तमान प्रबन्धन का विवरण	
10	धर्म स्थल के संरक्षण/सुदृढीकरण का औचित्य।	
11	धर्म स्थल आदि के जीर्णोद्धार/मरम्मत आदि की अनुमानित लागत का विवरण	
12	धर्म स्थल आदि के जीर्णोद्धार/मरम्मत के अन्तर्गत प्रस्तावित प्रमुख कार्यो का विवरण।	
13	क्या विलीनीकृत रियासत/धर्म स्थल आदि के जीर्णोद्धार/मरम्मत की लागत का 50 प्रतिशत व्यय दान या अन्य किसी माध्यम से वहन किये जाने का प्रस्ताव है? यदि हाँ, तो उसका पूर्ण विवरण।	
14	धर्म स्थल का नवीनतम् फोटोग्राफ तथा उक्त स्थल का Drone Video View& Google Earth Map View	
15	अन्य कोई बिन्दु, जिसका उल्लेख किया जाना अपेक्षित हों, का विवरण।	

जिलाधिकारी।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।